

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी.18, वन भवन, सैकटर-6, पंचकूला, दूरभाष 0172.2563988, 2563861 E-mail : cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः— डी-तीन-10371/२९२६

दिनांकः— १३/१/२०२३

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
 चण्डीगढ़।

विषयः

Diversion of 0.1785 ha. Forest Land for access of permission for transportation of Mining area at village Khanak, under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021

संदर्भः

आपका पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक 07.12.2022

उपरोक्त संदर्भाकिंत पत्र के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 09.12.2022 से प्राप्त सूचना आपको निम्नप्रकार से भेजी जाती हैः—

S.No.	Information sought	Information furnished by DFO
1	The layout plan does not mention the component wise forest area requirement. The forest area requirement in earlier provided layout plan, mentioned that there are two approaches of 20.5 x 80.00 meters whereas as per the present layout plan, two approaches of 9.00m each without giving the details of its length.	प्रस्ताव में 9-9 मी० के दो रास्ते नहीं बल्कि 20.5x85मी० का केवल एक ही रास्ता है, जिसका क्षेत्र 1742 SQMT है तथा कुल वन क्षेत्र 1782 SQMT (0.1785 Ha.) बनता है, जिसकी स्वीकृति हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा आवेदन किया गया है।
2	Regarding point no. (viii), nothing has been mentioned whether mining activities are allowed in the PLPA-1900 or not.	प्रस्तावित स्थल पी०एल०पी०ए०, 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पी०एल०पी०ए०, 1900 की धारा 4 व 5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है।
3	User agency had applied for FC clearance on 30.08.2021 and violation report was issued on 24.02.2022. This fits in the case, where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC. Hence, the State Govt will initiate disciplinary action against official concerned as per provision of	प्रस्ताव में शामिल भूमि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानांतरण हुई है और इस भूमि का वास्तविक पता चला है। तदोपरांत ही यूजर एजेन्सी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और प्रस्ताव प्रस्तुत

	<p>1.21 (ii)c and will prosecute the User agency for violation under local act of the State for unauthorised use of forest land without the permission of the State Authority as per 1.21 (ii)d of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines and clarifications), 2019 of MoEF&CC. A report for action taken needs to be submitted</p>	<p>करने उपरान्त यूजर एजेंसी द्वारा वास्तव में जितनी भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वन अपराध रिपोर्ट जोकि प्रोजेक्ट मैनेजर श्री शशि भूषण कौशिक के नाम चाक की गई। यूजर एजेंसी द्वारा की गई वायलेशन बारे पैनल सी0ए0 की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।</p>
--	--	--

संलग्न / उपरोक्त

ju

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला।

✓ 3/11/2023
10/11/2023



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Divisional Forests Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

133

क्रमांक / 1181
 सेवा मे:-

दिनांक / 09/01/2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
 हरियाणा, पंचकूला।

विषय :-

Diversion of 0.1785 ha. forest land for access of permission for transportation of mining area at village Khanak, under Forest Division Bhiwani.

FP/HR/Approach/146575/2021.

संदर्भ :-

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) का पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक December, 2022.

—000—

P/131

संदर्भाकित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से है :-

- i) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्ताव में 9-9 मी० के दो रास्ते नहीं बल्कि 20.5X85 मी० का केवल एक ही रास्ता है, जिसका क्षेत्र 1742 SQMT है तथा कुल वन क्षेत्र 1785 SQMT (0.1785 Ha.) बनता है, जिसकी स्वीकृति हेतु यूजर एजेंसी द्वारा आवेदन किया गया है।
- ii) प्रस्तावित स्थल PLPA, 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती। प्रस्तावित स्थल पर PLPA, 1900 की धारा 4&5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है।
- iii) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्ताव में शामिल भूमि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानांतरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश करने पर ही स्थानांतरण हुई भूमि का वास्तविक पता चला है। तदोपरान्त ही यूजर एजेंसी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और प्रस्ताव प्रस्तुत करने उपरान्त यूजर एजेंसी द्वारा वास्तव में जितनी भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वन अपराध रिपोर्ट, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर श्री शशि भूषण कौशिक के नाम चाक की गई। यूजर एजेंसी द्वारा की गई Violation वारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

वन मण्डल अधिकारी,
 भिवानी।